न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2011/00018 (355/2011) दायरा दिनांक : 25.08.2011

उनवान

1– शकुन्तला सुईयन पत्नी रतन लाल सूईयन, जाति लुहार, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2– जगदीश खलोरा आत्मज श्री सालगराम खलोरा, जाति धाकड़, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

2/1– कैलाश बाई खलोरा पत्नी स्वर्गीय जगदीश खलोरा, जाति धाकड, निवासी मंगलपुरा झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2/2– अनिता धाकड पुत्री स्वर्गीय जगदीश खलोरा, जाति धाकड़, निवासी मंगलपुरा झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

2/3– कविता धाकड पुत्री स्वर्गीय जगदीश खलोरा, जाति धाकड़, निवासी मंगलपुरा झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

2/4– संगीता धाकड पुत्री स्वर्गीय जगदीश खलोरा, जाति धाकड़, निवासी मंगलपुरा झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

2/5– मनोज धाकड पुत्र स्वर्गीय जगदीश खलोरा, जाति धाकड़, निवासी मंगलपुरा झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

2/6– भारत धाकड पुत्र स्वर्गीय जगदीश खलोरा, जाति धाकड, निवासी मंगलपुरा झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

3– श्रीमती कैलाश बाई खलोरा पत्नी जगदीश खलोरा, जाति धाकड़, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ ... अपीलांट

बनाम

1– प्रदीप कुमार शर्मा आत्मज श्री ज्ञानानन्द शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

1/1– मन्जू शर्मा पत्नी स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

1/2– गुलशन शर्मा पुत्री स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

1/3– कोमल शर्मा पुत्री स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

1/4– अदिति गौड पुत्री स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

1/5– वासु शर्मा पुत्र स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

2– सुनील कुमार गर्ग आत्मज स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गर्ग, निवासी मंगलपुरा टेंक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3– बीना अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गर्ग, पत्नी श्री लीलाधर अग्रवाल, निवासी कोटा, जिला कोटा

4– संध्या अग्रवाल पुत्री श्री सूरज नारायण पत्नी श्री अनिल कुमार गर्ग, निवासी मकान नम्बर 9/846 मालवीय नगर जयपुर, जिला जयपुर

5– ओम प्रकाश गर्ग पुत्र श्री जमना लाल गर्ग, जाति महाजन, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (मृतक)

6– नरेन्द्र कुमार शर्मा आत्मज श्री देवी लाल शर्मा, निवासी मंगलपुरा टेंक कॉलोनी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

7– चन्द्रकान्ता गर्ग पत्नी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गर्ग, जाति महाजन, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (मृतक)
8– महेन्द्र कुमार पंवार आत्मज श्री कृष्ण पंवार, जाति माली, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
9– श्याम रतन शर्मा आत्मज गिरिराज शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
10– मनोहर लाल राठौर पुत्र श्री किशन गोपाल राठोर, जाति तैली, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
11– चन्द्र प्रकाश सोनी पुत्री भंवर लाल सोनी, निवासी सर्राफा बाजार, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
12– जय प्रकाश शर्मा आत्मज चन्दा महाराज शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
13– पदम कुमार शर्मा आत्मज श्री ज्ञानानन्द जी शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
14– केसरी लाल मीणा आत्मज श्री नारायण लाल मीणा, निवासी मीणा, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
15– मोहन लाल बैरागी आत्मज श्री द्वारका लाल बैरागी, जाति बैरागी, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
16– प्रेमलता दीक्षित पत्नी ओम प्रकाश दीक्षित, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा मस्जिद की गली, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
17– डॉ0 नरेन्द्र कुमार पारिक आत्मज श्री कजोड़ लाल पारिक, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
18– श्रीमती शकुन्तला झाला पत्नी उम्मेद सिंह झाला, जाति राजपूत, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
19– श्रीमती उर्मिला गुप्ता पत्नी कमलेश कुमार गुप्ता, जाति महाजन, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
20– श्रीमती भगवती बाई पत्नी ओम प्रकाश शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
21– श्री रवि सेन आत्मज श्री लालराम सेन, जाति नाई, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
22– श्रीमती प्रेमलता गर्ग पत्नी सुनील कुमार गर्ग, जाति महाजन, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
23– श्री जय नारायण भण्डारी पुत्र श्री रामचन्द्र भण्डारी, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, हाल निवासी ग्राम मण्डावर, जिला झालावाड
24– श्रीमती नर्मदा देवी पत्नी लाल चन्द सुमन, छोटे लाल माली, जाति माली, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
25– श्री मदन सिंह आत्मज रामनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
26– महेश राठौर आत्मज जगदीश चन्द राठौर, निवासी झालावाड हाल तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज.)
27– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन
28– महेन्द्र कुमार आत्मज ओंकार लाल बंजारा, निवासी वृन्दावन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री अभितोष आचार्य अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या 2011/00019 (356/2011) दायरा दिनांक : 25.08.2011

उनवान

1– सुनील कुमार गर्ग आत्मज स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गर्ग, निवासी मंगलपुरा टैंक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2– श्रीमती वीणा अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गर्ग, पत्नी श्री लीलाधर अग्रवाल, निवासी स्टेशन, तहसील लाडपुरा, कोटा, जिला कोटा .... अपीलांट

बनाम

1– प्रदीप कुमार शर्मा आत्मज श्री ज्ञानानन्द शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1/1– मन्जू शर्मा पत्नी प्रदीप कुमार शर्मा, निवासी मकान नं. 52 बी, अशोक विहार कालोनी, अमन होटल के पीछे, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

1/2– गुलशन शर्मा पत्नी मयंक शर्मा पुत्री प्रदीप कुमार शर्मा, निवासी साईनाथपुरम, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

1/3– कोमल शर्मा पत्नी जयदत्तशर्मा पुत्री प्रदीप कुमार शर्मा, निवासी द्वारा ओम प्रकाश शर्मा, रिटायर्ड लेखाकार सिंचाई विभाग, कालीदास कालोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

1/4– अदिति गौड पुत्री प्रदीप कुमार शर्मा, निवासी मकान नं. 52 बी, अशोकविहार कालोनी, अमन होटल के पीछे, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

1/5– वासू शर्मा आत्मज प्रदीप कुमार शर्मा, मकान नं. 52 बी, अशोक विहार कालोनी, अमन होटल के पीछे, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

2– संध्या अग्रवाल पुत्री श्री सूरज नारायण पत्नी श्री अनिल कुमार गर्ग, निवासी मकान नम्बर 9/846 मालवीय नगर जयपुर, जिला जयपुर

3– शकुन्तला सुईयन पत्नी रतन लाल सूईयन, जाति लुहार, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

4– ओम प्रकाश गर्ग पुत्र श्री जमना लाल गर्ग, जाति महाजन, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (मृतक)

5– नरेन्द्र कुमार शर्मा आत्मज श्री देवी लाल शर्मा, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

6– चन्द्रकान्ता गर्ग पत्नी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गर्ग, जाति महाजन, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (मृतक)

7– महेन्द्र कुमार पंवार आत्मज श्री कृष्ण पंवार, जाति माली, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

8– श्याम रतन शर्मा आत्मज गिरिराज शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

9– मोहन लाल राठौर पुत्र श्री किशन गोपाल राठोर, जाति तेली, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

10– चन्द्र प्रकाश सोनी पुत्री भंवर लाल सोनी, निवासी सर्राफा बाजार, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

11– जय प्रकाश शर्मा आत्मज चन्दा महाराज शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

12– पदम कुमार शर्मा आत्मज श्री ज्ञानानन्द जी शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

13– केसरी लाल मीणा आत्मज श्री नारायण लाल मीणा, निवासी मीणा, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
14– मोहन लाल बैरागी आत्मज श्री द्वारका लाल बैरागी, जाति बैरागी, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
15– प्रेमलता दीक्षित पत्नी ओम प्रकाश दीक्षित, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा मस्जिद की गली, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
16– डॉ0 नरेन्द्र कुमार पारिक आत्मज श्री कजोड़ लाल पारिक, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
17– श्रीमती शकुन्तला झाला पत्नी उम्मेद सिंह झाला, जाति राजपूत, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
18– श्रीमती उर्मिला गुप्ता पत्नी कमलेश कुमार गुप्ता, जाति महाजन, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
19– श्रीमती भगवती बाई पत्नी ओम प्रकाश शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
20– जगदीश खलोरा आत्मज श्री सालगराम खलोरा, जाति धाकड, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
21– दाखा बाई पत्नी लालाराम, श्री रवि सेन आत्मज श्री लालराम सेन, जाति नाई, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
22– श्रीमती प्रेमलता गर्ग पत्नी सुनील कुमार गर्ग, जाति महाजन, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
23– श्री जयनारायण भण्डारी पुत्र श्री रामचन्द्र भण्डारी, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, हाल निवासी ग्राम मण्डावर, जिला झालावाड़
24– श्रीमती कैलाश बाई खलोरा पत्नी जगदीश प्रसाद खलोरा, जाति धाकड, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
25– छोटे लाल माली, श्रीमती नर्मदा देवी पत्नी लाल चन्द सुमन, छोटे लाल माली, जाति माली, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
26– श्री मदन सिंह आत्मज रामनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
27– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन
28– महेश राठौर आत्मज जगदीश चन्द राठौर, निवासी झालावाड हाल तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
29– महेन्द्र कुमार आत्मज ओंकार लाल बंजारा, निवासी वृन्दावन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड ..... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री विजय कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

अपील संख्या 2011/00015 (357/2011) **दायरा दिनांक : 25.08.2011**

उनवान

1– जय प्रकाश शर्मा आत्मज चन्दा लाल शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड ..... अपीलांट

बनाम

1– प्रदीप कुमार शर्मा आत्मज श्री ज्ञानानन्द शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–
1/1– मन्जू शर्मा पत्नी स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़ तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1/2– गुलशन शर्मा पुत्री स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
1/3– कोमल शर्मा पुत्री स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
1/4– अदिति गौड़ पुत्री स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
1/5– वासु शर्मा पुत्र स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2– सुनील कुमार गर्ग आत्मज स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गर्ग, निवासी मंगलपुरा टैंक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
3– श्रीमती वीणा अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गर्ग, पत्नी श्री लीलाधर अग्रवाल, निवासी स्टेशन, तहसील लाडपुरा, कोटा, जिला कोटा
4– संध्या अग्रवाल पुत्री श्री सूरज नारायण पत्नी श्री अनिल कुमार गर्ग, निवासी मकान नम्बर 9/846 मालवीय नगर जयपुर, जिला जयपुर
5– शकुन्तला सुईयन पत्नी रतन लाल सूईयन, जाति लुहार, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
6– ओम प्रकाश गर्ग पुत्र श्री जमना लाल गर्ग, जाति महाजन, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (मृतक)
7– नरेन्द्र कुमार शर्मा आत्मज श्री देवी लाल शर्मा, निवासी मंगलपुरा टेंक कॉलोनी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
8– चन्द्रकान्ता गर्ग पत्नी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गर्ग, जाति महाजन, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (मृतक)
9– महेन्द्र कुमार पंवार आत्मज श्री कृष्ण पंवार, जाति माली, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
10– श्याम रतन शर्मा आत्मज गिरिराज शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
11– मोहन लाल राठौर पुत्र श्री किशन गोपाल राठौर, जाति तेली, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
12– चन्द्र प्रकाश सोनी पुत्री भंवर लाल सोनी, निवासी सर्राफा बाजार, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
13– पदम कुमार शर्मा आत्मज श्री ज्ञानानन्द जी शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
14– केसरी लाल मीणा आत्मज श्री नारायण लाल मीणा, निवासी मीणा, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
15– मोहन लाल बैरागी आत्मज श्री द्वारका लाल बैरागी, जाति बैरागी, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
16– प्रेमलता दीक्षित पत्नी ओम प्रकाश दीक्षित, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा मस्जिद की गली, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
17– डॉ0 नरेन्द्र कुमार पारिक आत्मज श्री कजोड़ लाल पारिक, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
18– श्रीमती शकुन्तला झाला पत्नी उम्मेद सिंह झाला, जाति राजपूत, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
19– श्रीमती उर्मिला गुप्ता पत्नी कमलेश कुमार गुप्ता, जाति महाजन, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
20– श्रीमती भगवती बाई पत्नी ओम प्रकाश शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

21– जगदीश खलोरा आत्मज श्री सालगराम खलोरा, जाति धाकड़, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

22– दाखा बाई पत्नी लालाराम, श्री रवि सेन आत्मज श्री लालराम सेन, जाति नाई, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

23– श्रीमती प्रेमलता गर्ग पत्नी सुनील कुमार गर्ग, जाति महाजन, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

24– श्री जयनारायण भण्डारी पुत्र श्री रामचन्द्र भण्डारी, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, हाल निवासी ग्राम मण्डावर, जिला झालावाड़

25– श्रीमती कैलाश बाई खलोरा पत्नी जगदीश प्रसाद खलोरा, जाति धाकड़, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

26– छोटे लाल माली, श्रीमती नर्मदा देवी पत्नी लाल चन्द सुमन, छोटे लाल माली, जाति माली, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

27– श्री मदन सिंह आत्मज रामनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

28– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन

29– महेश राठौर आत्मज जगदीश चन्द राठौर, निवासी झालावाड़ हाल तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

30– महेन्द्र कुमार आत्मज ओंकार लाल बंजारा, निवासी वृन्दावन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ ..... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री विजय कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपरिथत।

अपील संख्या 2011/00016 (360/2011) **दायरा दिनांक : 26.08.2011**

उनवान

1– श्री जयनारायण भण्डारी पुत्र श्री रामचन्द्र भण्डारी, जाति महाजन, उम्र ..... वर्ष, निवासी मण्डावर, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)

1/1– श्रीमती मधु भण्डारी पत्नी जयनारायण, जाति महाजन, उम्र 60 वर्ष, निवासी मण्डावर, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)

1/2– मनोज कुमार भण्डारी आत्मज जयनारायण, जाति महाजन, उम्र 36 वर्ष, निवासी मण्डावर, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.) ..... अपीलांट

बनाम

1– प्रदीप कुमार शर्मा आत्मज श्री ज्ञानानन्द शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी झालालाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

1/1– मन्जू शर्मा पत्नी स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

1/2– गुलशन शर्मा पुत्री स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

1/3– कोमल शर्मा पुत्री स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

1/4– अदिति गौड़ पुत्री स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

1/5– वासु शर्मा पुत्र स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2– सुनील कुमार गर्ग आत्मज स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गर्ग, निवासी मंगलपुरा टेंक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3– श्रीमती वीणा अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गर्ग, पत्नी श्री लीलाधर अग्रवाल, निवासी स्टेशन, तहसील लाडपुरा, कोटा, जिला कोटा

4– संध्या अग्रवाल पुत्री श्री सूरज नारायण पत्नी श्री अनिल कुमार गर्ग, निवासी मकान नम्बर 9/846 मालवीय नगर जयपुर, जिला जयपुर

5– शकुन्तला सुईयन पत्नी रतन लाल सूईयन, जाति लुहार, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

6– ओम प्रकाश गर्ग पुत्र श्री जमना लाल महाजन, जाति महाजन, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (मृतक)

7– नरेन्द्र कुमार शर्मा आत्मज श्री देवी लाल शर्मा, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

8– चन्द्रकान्ता गर्ग पत्नी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गर्ग, जाति महाजन, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (मृतक)

9– महेन्द्र कुमार पंवार आत्मज श्री कृष्ण पंवार, जाति माली, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

10– श्याम रतन शर्मा आत्मज गिरिराज शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

11– मोहन लाल राठौर पुत्र श्री किशन गोपाल राठोर, जाति तेली, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

12– चन्द्रप्रकाश सोनी पुत्री भंवर लाल सोनी, निवासी सर्राफा बाजार, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

13– जय प्रकाश शर्मा आत्मज चन्दा महाराज शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

14– पदम कुमार शर्मा आत्मज श्री ज्ञानानन्द जी शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

15– केसरी लाल मीणा आत्मज श्री नारायण लाल मीणा, निवासी मीणा, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

16– मोहन लाल बैरागी आत्मज श्री द्वारका लाल बैरागी, जाति बैरागी, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

17– प्रेमलता दीक्षित पत्नी ओम प्रकाश दीक्षित, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा मस्जिद की गली, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

18– डॉ0 नरेन्द्र कुमार पारिक आत्मज श्री कजोड़ लाल पारिक, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

19– श्रीमती शकुन्तला झाला पत्नी उम्मेद सिंह झाला, जाति राजपूत, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

20– श्रीमती उर्मिला गुप्ता पत्नी कमलेश कुमार गुप्ता, जाति महाजन, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

21– श्रीमती भगवती बाई पत्नी ओम प्रकाश शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

22– जगदीश खलोरा आत्मज श्री सालगराम खलोरा, जाति धाकड़, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

23– दाखा बाई पत्नी लालाराम, श्री रवि सेन आत्मज श्री लालराम सेन, जाति नाई, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

24– श्रीमती प्रेमलता गर्ग पत्नी सुनील कुमार गर्ग, जाति महाजन, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

25– श्रीमती कैलाश बाई खलोरा पत्नी जगदीश प्रसाद खलोरा, जाति धाकड़, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

26– छोटे लाल माली, श्रीमती नर्मदा देवी पत्नी लाल चन्द सुमन, छोटे लाल माली, जाति माली, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

27– श्री मदन सिंह आत्मज रामनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

28– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन

29– महेश राठौर आत्मज जगदीश चन्द राठौर, निवासी झालावाड़ हाल तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

30– महेन्द्र कुमार आत्मज ओंकार लाल बंजारा, निवासी वृन्दावन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ ..... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री विजय कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपरिथत।

अपील संख्या 2011/00017 (366/2011) दायरा दिनांक : 26.08.2011

उनवान

श्रीमती प्रेमलता शर्मा पत्नी ओम प्रकाश दीक्षित, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

1/1– रजनीबाला दीक्षित पुत्री प्रेमलता शर्मा पत्नी डॉ0 बनवारी लाल शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

1/2– सुनील दीक्षित पुत्र प्रेमलता शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

1/3– गरिमा शर्मा पुत्री प्रेमलता शर्मा पत्नी राजेन्द्र शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा .... अपीलांट

बनाम

1– प्रदीप कुमार शर्मा आत्मज श्री ज्ञानानन्द शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

1/1– मन्जू शर्मा पत्नी स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

1/2– गुलशन शर्मा पुत्री स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

1/3– कोमल शर्मा पुत्री स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

1/4– अदिति गौड पुत्री स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

1/5– वासु शर्मा पुत्र स्वर्गीय प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2– सुनील कुमार गर्ग आत्मज स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गर्ग, निवासी मंगलपुरा टेंक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3– श्रीमती बीना अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गर्ग, पत्नी श्री लीलाधर अग्रवाल, निवासी स्टेशन, तहसील लाडपुरा, कोटा, जिला कोटा

4– संध्या अग्रवाल पुत्री श्री सूरज नारायण पत्नी श्री अनिल कुमार गर्ग, निवासी मकान नम्बर 9/846 मालवीय नगर जयपुर, जिला जयपुर

5– ओम प्रकाश गर्ग पुत्र श्री जमना लाल गर्ग, जाति महाजन, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (मृतक)

6– नरेन्द्र कुमार शर्मा आत्मज श्री देवी लाल शर्मा, निवासी मंगलपुरा टेंक कॉलोनी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

7– चन्द्रकान्ता गर्ग पत्नी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गर्ग, जाति महाजन, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (मृतक)

8– महेन्द्र कुमार पंवार आत्मज श्री कृष्ण पंवार, जाति माली, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

9– श्याम रतन शर्मा आत्मज गिरिराज शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

10– मनोहर लाल राठौर पुत्र श्री किशन गोपाल राठौर, जाति तैली, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

11– चन्द्रप्रकाश सोनी पुत्री भंवर लाल सोनी, निवासी सर्राफा बाजार, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

12– जय प्रकाश शर्मा आत्मज चन्दा महाराज शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

13– पदम कुमार शर्मा आत्मज श्री ज्ञानानन्द जी शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

14– केसरी लाल मीणा आत्मज श्री नारायण लाल मीणा, निवासी मीणा, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

15– मोहन लाल बैरागी आत्मज श्री द्वारका लाल बैरागी, जाति बैरागी, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

16– डॉ0 नरेन्द्र कुमार पारिक आत्मज श्री कजोड़ लाल पारिक, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

17– श्रीमती शकुन्तला झाला पत्नी उम्मेद सिंह झाला, जाति राजपूत, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

18– श्रीमती उर्मिला गुप्ता पत्नी कमलेश कुमार गुप्ता, जाति महाजन, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

19– श्रीमती भगवती बाई पत्नी ओम प्रकाश शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

20– श्री रवि सेन आत्मज श्री लालराम सेन, जाति नाई, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

21– श्रीमती प्रेमलता गर्ग पत्नी सुनील कुमार गर्ग, जाति महाजन, निवासी मंगलपुरा टेक कालोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

22– श्री जयनारायण भण्डारी पुत्र श्री रामचन्द्र भण्डारी, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, हाल निवासी ग्राम मण्डावर, जिला झालावाड़

23– श्रीमती नर्मदा देवी पत्नी लाल चन्द सुमन, छोटे लाल माली, जाति माली, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

24– श्री मदन सिंह आत्मज रामनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी मंगलपुरा टेक कॉलोनी, झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

25– महेश राठौर आत्मज जगदीश चन्द राठौर, निवासी झालावाड़ हाल तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

26– शकुन्तला सुईयन पत्नी रतन लाल सूईयन, जाति लुहार, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

27– जगदीश खलोरा आत्मज श्री सालगराम खलोरा, जाति धाकड़, निवासी झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

27/1– कैलाश बाई खलोरा पत्नी स्वर्गीय जगदीश खलोरा, जाति धाकड़, निवासी मंगलपुरा झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

27/2– अनिता धाकड़ पुत्री स्वर्गीय जगदीश खलोरा, जाति धाकड़, निवासी मंगलपुरा झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

27/3– कविता धाकड पुत्री स्वर्गीय जगदीश खलोरा, जाति धाकड़, निवासी मंगलपुरा झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
27/4– संगीता धाकड पुत्री स्वर्गीय जगदीश खलोरा, जाति धाकड़, निवासी मंगलपुरा झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
27/5– मनोज धाकड पुत्र स्वर्गीय जगदीश खलोरा, जाति धाकड़, निवासी मंगलपुरा झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
27/6– भारत धाकड पुत्र स्वर्गीय जगदीश खलोरा, जाति धाकड़, निवासी मंगलपुरा झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
28– श्रीमती कैलाश बाई खलोरा पत्नी जगदीश प्रसाद खलोरा, जाति धाकड़, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
29– महेन्द्र कुमार आत्मज ओंकार लाल बंजारा, निवासी वृन्दावन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
30– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन ... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री अभितोष आचार्य अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बिजय कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 12,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 06.02.2026

ये पांचों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये पांचों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – 579/2005 (317/94) निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2011 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 प्रदीप कुमार ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 54ए, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि शहर झालावाड़, तहसील झालरापाटन में नई खतौनी संख्या 103 व पुरानी 119 की खसरा नं. 2035 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं. 2036 रकबा 3 बिस्वा एवं खसरा नं. 2037 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2011 से दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील सं. 2011/00016 (360/2011) के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्र संग्रह सार के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोण्डेन्ट कम 1 द्वारा माननीय न्यायालय में एक वाद दिनांक 20.03.1987 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि शहर झालावाड, तहसील झालरापाटन में नई खतौनी संख्या 103 व पुरानी 119 की खसरा नम्बर 2035 की 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2036 की 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2037 की 1 बिस्वा कुल किता 3 की कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके है। इस आराजी में से खसरा नम्बर 2035 की रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2037 की रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 की कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि रेस्पोण्डेन्टस कम 1 लगायत 4 ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23.05.1983 को खरीद कि

(दीप्ति सुरेन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जो इंतकाल संख्या 261 दिनांक 26.08.1983 से उक्त के खाते दर्ज हुई। उक्त आराजी का विधिवत् बंटवारा रेस्पोण्डेन्टस् कम 1 से 4 में नहीं हुआ है जिसे रेस्पोण्डेन्ट कम 1 विभाजन करवा कर अपना हिस्सा अलग दर्ज करवाना चाहता है। साथ ही यह भी लिखा कि रेस्पोण्डेन्ट कम 1 केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है जो सन् 1976 से ही झालावाड़ से बाहर नौकरी पर रहता है व अभी भी वादी मद्रास में सेवारत है। साल में दो–चार दिन के लिये छुट्टी पर आता है। प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 की नियत में फर्क आ गया है वे बंटवारा नहीं करवाना चाहते। वादी दिनांक 12.03.1987 को मद्रास से आया तो वादी ने पाया कि प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 12 ने विवादग्रस्त भूमि पर पत्थर डलवा रखे हैं तो वादी ने दिनांक 13.03.1987 को पूछा तो उन्होंने कहा कि वह उक्त भूमि को आबादी में तब्दील करवा कर बेच डालेंगे तथा वादी का खाता पृथक नहीं करेंगे एवं उसे कोई हिस्सा नहीं देंगे व वादी का हिस्सा 1/4 अलग करने की प्रार्थना की व प्रतिवादीगण को भूमि हस्तान्तरण नहीं करने व निर्माण कार्य नहीं करने, न ही बेचान करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना की। प्रतिवादीया कम 4 ने जवाब में कहा कि इस भूमि में कई प्लाट आबादी में परिवर्तित हो चुके हैं व प्रतिवादिया कम 4 के प्लाट का भी भू उपयोग परिवर्तन हो चुका है। जिस कारण दीवानी न्यायालय को ही वाद को सुनने का अधिकार है। प्रतिवादी कम 5 ने भी अपने जवाब कहा कि यह कृषि भूमि नहीं रही है। शहरी भूमि है, उक्त भूमि पर मकानात तामीर हो चुके हैं व उसमें राज्य सरकार की विधिवत सहमति थी। सक्षम अधिकारियों की सहमति से राज्य सरकार की ओर से अनुमति प्राप्त कर मकानात तामीर हो चुके हैं व वे वादी व प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 के नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के हैं। प्रतिवादी कम 6 ने जवाब दावे में कहा कि इसमें कई प्लाट कन्वर्ट हो चुके है। उक्त प्लाट वादी के ज्ञान में खरीदा गया है व वादी ने ज्ञान में ही इस प्लाट पर प्रतिवादी कम 6 ने मकान का निर्माण किया है। प्रतिवादी कम 11 ने जवाब वाद में उसके कब्जे मल्कियत के प्लाट को मुख्तार खास से मुख्तारनामा देख कर खरीदना कहा। प्रतिवादी कम 12 ने भी उसके प्लाट का भू उपयोग परिवर्तन होना कहा व प्लाट को वादी की सहमति से खरीदना कहा। इस पर दिनांक 02.07.1991 को तनकीहात कायम की गई। इस बीच अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.02.1991 के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अपील की गई जिसका कमांक 203/93/झालावाड है। उक्त अपील में दिनांक 26.09.1997 को निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय को मौका रिपोर्ट के अनुसार क्रेतागण को पक्षकार बनाये जाने के पश्चात् विधिवत् निर्णय पारित करने के लिये वापस भिजवाई गई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा और न ही वादी द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार क्रेताओं को पक्षकार बनाया गया व दिनांक 29.11.2001 को निर्णय पारित किया गया जिसके साथ ही बिना प्रक्रिया अपनाये फाइनल डिक्री भी जारी कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की दो अपीलें माननीय न्यायालय में पेश की गई जिनका क्रमांक 331/2001 एवं 332/2001 हैं। उक्त दोनों अपीलों में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2004 को निर्णय पारित कर अपील अपीलान्टस् आंशिक स्वीकार कर इस निर्देश के साथ पुनः नये सिरे से विधिवत् निर्णय पारित करने हेतु भिजवाई गई कि उभय पक्षकार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने, आवश्यक होने पर दावे में अतिरिक्त तनकीहात कायम करके विवादित भूमि के विषय में विभिन्न न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का भलि भांति अवलोकन करने तथा उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये बयानात राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेज का भलि भांति विवेचन एवं परीक्षण किये जाने के बाद पुनः नये सिरे से विधिवत् निर्णय पारित करें।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलों के पक्षकारान को सम्मन जारी कर तलब किया गया। दिनांक 12.07.2010 को वकील प्रतिवादी द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कि संशोधित दावा प्रस्तुत नहीं हुआ है। दिनांक 21.07.2010 को वादी द्वारा संशोधित वाद पेश किया गया व नये बनाये गये पक्षकारान को तलब किया गया। जिस पर कुछ प्रतिवादीगण उपस्थित हुए व प्रतिवादीगण कम 1, 2, 3, 4, 16, 22, 23, 25, 27 व 29 द्वारा वादी द्वारा पेश संशोधित वाद का जवाब पेश किया गया जिसमें प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 ने कहा कि न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) झालावाड़ द्वारा वादी द्वारा पेश वाद संख्या 2/01 (49/87) में तनकी नं. 3 में यह माना है कि वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 द्वारा ओमप्रकाश गर्ग को मुख्तारनामा दिया गया था। यह भी लिखा कि ओमप्रकाश गर्ग द्वारा उक्त मुख्तारनामे के आधार पर सम्पूर्ण आराजी का बेचान प्लाट बनाकर किया जा चुका है। यह भी लिखा कि प्रतिवादीगण कम 6, 12 व 17 से वादी ने राजीनामा कर उक्त पर अपना हक छोड़ा है व उक्त प्लाट भी उक्त खरीददारान द्वारा ओमप्रकाश गर्ग से ही खरीद की गई। अन्य प्रतिवादीगण ने भी कहा कि उन्होंने प्लाट ओमप्रकाश गर्ग से बहेसियत मुख्तार वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 खरीद किया गया है व भूखण्ड का भू उपयोग परिवर्तन भी हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2004 के अनुसरण में निर्देशानुसार और न ही जवाब दावा अनुसार अतिरिक्त तनकीहात कायम की गई व दिनांक 22.11.2010 को आदेशिका में लिखा कि "वकुलाय फरीकेन उपस्थित। तनकीहात पूर्व से ही कायम है।"

अपीलांट द्वारा निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय से सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त की तो अपीलान्ट को नीचे वर्णित विसंगतिया पत्रावली में व निर्णय में प्रकट हुई। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2004 को अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.11.2001 आपास्त फरमाया जाकर वापस सुनवायी हेतु भिजवाया गया था। जिसमे रेस्पोण्डेन्ट वादी द्वारा दिनांक 21.07.2010 को संशोधित वाद पेश किया गया था। इसके पूर्व अपीलान्ट को माननीय न्यायालय से एक सम्मन दिनांक 26.10.2009 को मुकदमा बउनवान प्रदीप कुमार विरूद्ध सुनील कुमार में उपस्थित होने का मिला था। जिसके साथ अपीलान्ट को किसी वाद की कोई प्रति प्राप्त नही हुई थी। दिनांक 26.10.2009 को अपीलान्ट माननीय न्यायालय में उपस्थित हुआ व वाद की प्रति की मांग की तो पता चला कि जो वाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.10.2009 को सुनवायी हेतु था, उक्त बाद में अपीलान्ट पक्षकार नही था है सो अपीलान्ट वापस आ गया इसके बाद अपीलान्ट को माननीय न्यायालय से कोई सम्मन प्राप्त नही हुए और न अपीलान्ट के विरूद्ध कोई एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अतः अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्य है। बिना अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्रदान किये पारित किया गया निर्णय व डिक्री अपीलान्ट पर बाध्यकारी नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को माननीय न्यायालय से कोई सम्मन प्राप्त नही हुए। अपीलान्ट द्वारा एक प्लाट साईज 22 + 25/2 X 65 = 1527.25 वर्गफीट का दिनांक 29.06.1985 को ओमप्रकाश गर्ग जो सुनिल गर्ग, वीणा अग्रवाल संध्या गर्ग, एवं प्रदीप कुमार गौड़ के मुख्तार थे, से खरीद किया था जिस पर खरीद के बाद अपीलान्ट ने माननीय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ मे भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन किया, जिसकी वैधता एवं पूर्णतः से सन्तुष्ट होकर आदेश दिया जिस पर अपीलान्ट ने रूपान्तरण शुल्क 11 रूपये

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रति वर्ग गज से 1870 रूपये एवं विकय शुल्क स्वीकृति हेतु 10 रूपये दिनांक 19.04.1988 को जमा करवाये एवं दिनांक 22.06.1991 को 1399.61 रूपये अन्य प्राप्तियां जमा करवाये। अपीलान्ट की भूमि रूपान्तरण पत्रावली का क्रमांक 91/94–95 है, फोटो कापी बेचान पत्र, रकम जमा चालान दिनांक 19.04.1988 व 22.06.1991 पेश है। प्रमाणित प्रति प्राप्त कर पेश की जावेगी। इस प्लाट पर अपीलान्ट ने मकान निर्माण कर रखा है व पानी का कनेक्शन करवा रखा है। फोटो कापी पेश है, इस प्रकार उक्त भूमि अब कृषि भूमि नहीं रही है, समस्त भूमि पर मकान बन चुके है व पूरी भूमि पर नगर पालिका, झालावाड़ ने सड़के बना दी है, नालियां बना दी है व स्ट्रीट लाइट लगा दी है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 331/2001, 332/2001 में दिनांक 18.11.2004 को पारित निर्णय में उल्लेखित इस निर्देश की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई कि "धारा 243 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रश्न तय करवाने के पश्चात् ही विचाराधीन दावे में निर्णय पारित करना चाहिये था एवं चूंकि विवादित भूमि के विषय में समान पक्षकारों के मध्य दो भिन्न न्यायालयों में दावा प्रस्तुत किये जाने पर क्या रेस ज्यूडीकेटा के बिन्दु लागू नहीं होते। इस विषय में परीक्षण न्यायालय को तनकी बनाकर पूर्ण रूप से विवेचन करना चाहिये।" भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी कम 5 व 7 के विरूद्ध निर्णय पारित कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2001 में प्रतिवादीगण को मृतक लिखा जाकर इनके कायम मुकामान प्रतिवादीगण कम 1, 2 व 14 लिखे गये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर न कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 29.11.2001 को पारित निर्णय में बतौर प्रतिवादी कम 14 अनिल कुमार आत्मज ओमप्रकाश गर्ग का नाम दर्ज था जिसे इस वाद में अब पक्षकार नहीं बनाया गया है, न ही उसके खिलाफ निर्णय पारित किया गया है, जबकि वह प्रतिवादिया कम 7 मृतक चन्द्रकान्ता द्वारा खरीदे गये प्लाट के 1/3 भाग का हिस्सेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 203/93/झालावाड में दिनांक 26.09.1997 को पारित निर्णय में वाद में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.1990 में उल्लेखित क्रेताओं जिसकी लिस्ट प्रदर्श ए–1 है, को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया जाना था। किन्तु वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.07.2010 को पेश संशोधित वाद में उक्त रिपोर्ट प्रदर्श ए–1 में उल्लेखित क्रेता द्वारकालाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः वाद वादी खारिज होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर न कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है कि वादी द्वारा दिनांक 21.07.2010 को पेश संशोधित वाद में बतौर प्रतिवादी कम 22 दाखां बाई पत्नी लालाराम एवं रवि सेन पुत्र लालाराम का नाम अंकित किया है, जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता एवं न ही वक्त पेश किये जाते समय संशोधित वाद दाखां बाई जीवित थी। अतः निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के तनकी नम्बर 4 "आया इस न्यायालय को अख्तियार समाहत हासिल है" को निर्णित करने में भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। इसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, झालावाड़ के निर्णय दिनांक 23.07.2001 का उल्लेख करते हुए मुकदमा सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना माना है। उक्त निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 5 व 6 की विवेचना अलग अलग न कर भारी कानूनी एवं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तथ्यात्मक भूल की है। क्योंकि दोनों तनकीहात की विषयवस्तु एक दूसरे से काफी भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 5 "क्या भूखण्डों के क्रेताओं को पक्षकार बनाये बिना दावा चलने योग्य है।" यह मान कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है कि वादी द्वारा प्लाटों के क्रेताओं को भी वाद में पक्षकार बनाया है। पूर्व में चले वाद में प्रतिवादीगण कम 12 तक पक्षकार थे प्रतिवादी कम 13 राज्य सरकार एवं प्रतिवादी कम 14 अनिल कुमार कायम मुकाम प्रतिवादीगण कम 5 व 7 पक्षकार था। वादी द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2001 एवं 26.09.1997 की पालना में प्रतिवादी कम 13 लगायत 27 एवं प्रतिवादी कम 29 की प्रार्थना पर प्रतिवादी कम 29 को पक्षकार बनाया गया है जो तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 12.12.1990 में उल्लेखित क्रेताओं के आधार पर बनाये जाने थे। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श ए–1 में क्रम संख्या 4 पर द्वारका लाल का नाम अंकित है किन्तु उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। साथ ही प्रतिवादी कम 29 को कस्तूरी बाई से प्लाट खरीदने पर वादी द्वारा अनापत्ति किये जाने पर पक्षकार बनाया गया है। किन्तु रिपोर्ट दिनांक 12.12.1990 में किसी कस्तूरी बाई का नाम ही उल्लेखित नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वादी द्वारा सभी क्रेताओं को पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद नॉन ज्वाइन्डर एवं मिस ज्वाइन्डर में खारिज होने योग्य है। वाद में पेश रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 12.12.1990 में चन्द्रकान्ता गर्ग भी क्रेता थी व पक्षकार थी। जिनकी मृत्यु होने पर वादी ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर मृतका के पुत्र अनिल कुमार को बतौर प्रतिवादी कम 14 पक्षकार बनाया था। किन्तु निर्णित वाद में अनिल कुमार को पक्षकार ही नहीं बनाया गया। अतः वाद वादी नॉन ज्वाइन्डर ऑफ पार्टी में खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 6 जो अत्यन्त महत्वपूर्ण तनकी थी, पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजात की विवेचना न कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 4 पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य की विवेचना न कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। सभी साक्ष्य द्वारा यह कहा गया कि पूरी भूमि पर प्लाट बिक चुके हैं एवं इस पर नगर पालिका द्वारा नालियां व सीमेन्ट रोड भी बनाई जा चुकी है। स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2001 को तहसीलदार झालरापाटन को पत्र लिख कर इस भूमि की मौके की जांच करने को कहा गया था। जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार झालरापाटन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.11.2001 को दी गई कि जो हल्का पटवारी व कानूनगो की हस्ताक्षरित थी। इसमें लिखा था कि उक्त वर्णित कॉलोनी में सीमेन्ट मार्ग भी बने हुए हैं। मौके पर खातेदारान में से स्वतंत्र स्वामित्व का कोई भूखण्ड खाली नहीं है।" इससे स्पष्ट है कि मौके पर किसी भूमि पर किसी खातेदार का कोई कब्जा नहीं था व मौके पर समस्त भूमि आवासीय भूमि में परिवर्तित हो चुकी थी। अतः उक्त भूमि विभाजन योग्य हीं नहीं रही थी।

अधीनस्थ न्यायालय ने यह मात्र कयास के आधार पर ही यह मान लिया है कि असल दस्तावेज (मुख्तारनामा) न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। जबकि स्वयं वादी अपने बयानों में कई बार इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसके द्वारा एक ही मुख्तारनामा ओमप्रकाश गर्ग को दिया गया था जो खारिज करवाया गया था। उक्त मुख्तारनामे को खारिज करवाये जाने की सूचना प्रदर्श ए–6 अखबार में निकलाई गई थी जिसमें यह लिखा था कि "मुख्तारनामा बाबत् प्लाट काट कर बेचने का प्राप्त कर लिखा था।" वादी का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15.05.1986 भी पत्रावली पर है जिसमें भी वादी ने मुख्तारनामा दिया जाना स्वीकार किया है साथ ही भू उपयोग परिवर्तन की पत्रावलियों की प्रतियां जो माननीय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय में पेश की गई, उनमें भी मुख्तारनामा उल्लेखित है। इसी मुख्तारनामे की फोटो प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है जिसे द्वितीय साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये जाने का प्रार्थना पत्र ओमप्रकाश गर्ग ने दिनांक 23.11.1992 को पेश किया था जो दिनांक 23.12.1992 को स्वीकार किया गया। किन्तु ओमप्रकाश गर्ग की मृत्यु हो जाने से प्रदर्शित नहीं करवाया जा सका। इससे स्पष्ट है कि स्वयं वादी ने मुख्तारनामा दिया जाना स्वीकार किया है व उसे प्रदर्श ए–6 दिनांक 02.06.1986 से निरस्त करवाया गया है। इस मुख्तारनामे के आधार पर दिनांक 02.09.1986 के पूर्व किये गये बेचान इकरार अथवा बेचान वैध है। उक्त मुख्तारनामा दीवानी वाद में प्रदर्शित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून विरूद्ध व मनमाना है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर न कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है कि स्वयं वादी ने ओमप्रकाश गर्ग को वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 द्वारा दिये गये मुख्तारनामे के आधार पर बेचे गये भूखण्डों के स्वामी प्रतिवादीगण कम 6, 12 व 17 से उनके द्वारा की गई खरीद को सही मानकर उस पर अपना हक छोड़ा है जबकि उक्त प्रतिवादी कम 6 ने अपने बयान दिनांक 06.08.2001 में यह स्वीकार किया था कि मुझे ओमप्रकाश गर्ग ने मुख्तारनामा बतलाया था। प्रतिवादी कम 12 ने भी दिनांक 30.03.2011 को की गई जिरह में यह स्वीकार किया है कि भूमि ओमप्रकाश ने बेची थी। राजीनामे में वादी ने स्वीकार किया था कि इसमें वादी अपना हिस्सा क्लेम नहीं करता है। इससे स्पष्ट है कि वादी ने बदनियती पूर्वक वाद पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 7 में मनमाने तरीके से वादी का हिस्सा 1/4 निर्धारित कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है कि वाद बंटवारे व स्थायी निषेधाज्ञा का है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा वादी को 9 प्लाटों की 12000 वर्ग फुट जमीन का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया है किन्तु यह कहीं उल्लेखित नहीं है कि इन प्लाटों को क्रमांक व साइज क्या है व इनका क्रेता कौन व्यक्ति है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आपस्त फरमाया जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 579/05 में दिनांक 01.08.2011 को पारित निर्णय व डिक्री आपास्त फरमाई जावे।

अपील सं. 2011/00017 व 2011/00018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2011 पत्रावली, संग्रह सार एवं विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोण्डेन्ट कम 1 वादी के अकारण ही उसके पक्ष डिक्री कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोण्डेन्ट कम 1 वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 (ए), 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि शहर झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड में नई खतौनी संख्या 103 व पुरानी 119 की खसरा नम्बर 2035 की 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2036 की 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2037 की 1 बिस्वा कुल किता 3 की कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके है। इस आराजी में से खसरा नम्बर 2035 की रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2037 की रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 की कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि रेस्पोण्डेन्टस कम 1 लगायत 4 ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23.05.1983 को खरीद कि जो इंतकाल संख्या 261 दिनांक 26.08.1983 से उक्त के खाते दर्ज हुई। उक्त आराजी का विधिवत् बंटवारा रेस्पोण्डेन्टस् कम 1 से 4 में नहीं हुआ है जिसे रेस्पोण्डेन्ट कम 1 विभाजन करवा कर अपना हिस्सा अलग दर्ज करवाना चाहता है। साथ ही यह भी लिखा कि रेस्पोण्डेन्ट कम 1 केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है जो सन् 1976

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

से ही झालावाड़ से बाहर नौकरी पर रहता है व अभी भी वादी मद्रास में सेवारत है। साल में दो–चार दिन के लिये छुट्टी पर आता है। प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 की नियत में फर्क आ गया है वे बंटवारा नहीं करवाना चाहते। वादी दिनांक 12.03.1987 को मद्रास से आया तो वादी ने पाया कि प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 12 ने विवादग्रस्त भूमि पर पत्थर डलवा रखे हैं तो वादी ने दिनांक 13.03.1987 को पूछा तो उन्होंने कहा कि वह उक्त भूमि को आबादी में तब्दील करवा कर बेच डालेगे तथा वादी का खाता पृथक नहीं करेगे एवं उसे कोई हिस्सा नहीं देगे व वादी का हिस्सा 1/4 अलग करने की प्रार्थना की व प्रतिवादीगण को भूमि हस्तान्तरण नहीं करने व निर्माण कार्य नहीं करने, न ही बेचान करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना की। प्रतिवादीया कम 4 ने जवाब में कहा कि इस भूमि में कई प्लाट आबादी में परिवर्तित हो चुके हैं व प्रतिवादिया कम 4 के प्लाट का भी भू उपयोग परिवर्तन हो चुका है। जिस कारण दीवानी न्यायालय को ही वाद को सुनने का अधिकार है। प्रतिवादी कम 5 ने भी अपने जवाब में कहा कि यह कृषि भूमि नहीं रही है। शहरी भूमि है, उक्त भूमि पर मकानात तामीर हो चुके हैं व उसमें राज्य सरकार की विधिवत सहमति थी। सक्षम अधिकारियों की सहमति से राज्य सरकार की ओर से अनुमति प्राप्त कर मकानात तामीर हो चुके हैं व वादी व प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 के नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के हैं। प्रतिवादी कम 6 ने जवाब दावे में कहा कि इसमें कई प्लाट कन्वर्ट हो चुके है। उक्त प्लाट वादी के ज्ञान में खरीदा गया है व वादी ने ज्ञान में ही इस प्लाट पर प्रतिवादी कम 6 ने मकान का निर्माण किया है। प्रतिवादी कम 11 ने जवाब वाद में उसके कब्जे मल्कियत के प्लाट को मुख्तार खास से मुख्तारनामा देख कर खरीदना कहा। प्रतिवादी कम 12 ने भी उसके प्लाट का भू उपयोग परिवर्तन होना कहा व प्लाट को वादी की सहमति से खरीदना कहा। इस पर दिनांक 02.07.1991 को तनकीहात कायम की गई। इस बीच अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.02.1991 के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अपील की गई जिसका कमांक 203/93/झालावाड़ है। उक्त अपील में दिनांक 26.09.1997 को निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय को मौका रिपोर्ट के अनुसार क्रेतागण को पक्षकार बनाये जाने के पश्चात् विधिवत् निर्णय पारित करने के लिये वापस भिजवाई गई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा और न ही वादी द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार क्रेताओं को पक्षकार बनाया गया व दिनांक 29.11.2001 को निर्णय पारित किया गया जिसके साथ ही बिना प्रक्रिया अपनाये फाइनल डिक्री भी जारी कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की दो अपीलें माननीय न्यायालय में पेश की गई जिनका क्रमांक 331/2001 एवं 332/2001 हैं। उक्त दोनों अपीलों में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2004 को निर्णय पारित कर अपील अपीलान्टस् आंशिक स्वीकार कर इस निर्देश के साथ पुनः नये सिरे से विधिवत् निर्णय पारित करने हेतु भिजवाई गई कि उभय पक्षकार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने, आवश्यक होने पर दावे में अतिरिक्त तनकीहात कायम करके विवादित भूमि के विषय में विभिन्न न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का भलि भांति अवलोकन करने तथा उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये बयानात राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेज का भलि भांति विवेचन एवं परीक्षण किये जाने के बाद पुनः नये सिरे से विधिवत् निर्णय पारित करें।

अपीलीय न्यायालय ने अपील संख्या 203/1993/झालावाड़ सुनील कुमार गर्ग बनाम प्रदीप कुमार वगैरह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधीनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ का आदेश दिनांक 19.02.1991 दिनांक 26.09.1997 को यह कहते हुए खारिज किया कि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.1990 से यह

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

स्पष्ट है कि विवादित अराजियात के 28 प्लाट काटे जाकर "विक्रय" किये जा चुके हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ भू–खण्ड क्रेतागण के नाम भी सम्मिलित किये गये हैं। इन क्रेतागण को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना और उनको सुनवाई का मौका दिया जाना जरूरी है। यह कहते हुए आदेश दिनांक 19.02.1991 खण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात की स्पष्ट जानकारी होने के बाद भी कि रेस्पोडेन्ट नं. 7 चन्द्रकान्ता गर्ग एवं रेस्पोडेन्ट नं. 5 ओम प्रकाश गर्ग दोनों पक्षकारान की मृत्यु दौराने वाद हो गई है लेकिन वादी रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने उनके कायम मुकायमान को पक्षकार बनाये बिना एवं तलवी किये बिना दावा वादी डिक्री करने में महान कानूनी भूल की है। वादी रेस्पोडेन्ट नं. 1 प्रदीप कुमार से स्पष्ट रूप से दिनांक 07.02.2011 को वक्त जिरह उक्त तथ्य ज्ञान में ला दिये गये थे लेकिन उक्त प्रदीप कुमार ने विधि के सिद्वान्तों की अवहेलना कर मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध भी वाद को जारी रखा और न्यायालय ने इसी त्रुटि को जानते हुए भी वाद डिक्री कर दिया। जो कि विधि के सिद्धान्तों की पालना नहीं करने से खारिज होने योग्य था।

अपीलान्ट ने खातेदारान रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 4 द्वारा मुख्तारनामा खास जो ओम प्रकाश गर्ग आत्मज जमना लाल जी गर्ग, निवासी झालावाड को उक्त विवादग्रस्त आराजियात के संबंध में पावर ऑफ एटोरनी प्रदान की थी। जिसकी पुष्टी रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 4 भी करते हैं से उक्त मुख्तीयार से अपीलान्ट नं. 1 ने दिनांक 22.06.1990 को उपखण्ड अधिकारी, भूमि रूपान्तरण प्रथम, झालावाड़ के आदेश क्रमांक एस.डी.ओ./भू.रू./90/708–09 दिनांक 23.05.1990 के आदेश विक्रय पत्र निष्पादन हेतु मुख्तीयार खास ओम प्रकाश गर्ग को देने पर विवादग्रस्त आराजियात में से 50×45=2250 वर्ग फीट जो कि 250 वर्ग गज भूमि होती है का विक्रय पत्र उप–पंजीयक, झालावाड़ (झालरापाटन) कराया। इस प्रकार विवादग्रस्त आराजियात में अपीलान्ट रजिस्टर्ड क्रेता है तथा कब्जाधारी है। अपीलान्ट ने विधि की प्रक्रिया के अनुसार उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि पर क्रय किया गया भू–खण्ड का उपखण्ड अधिकारी, भूमि रूपान्तरण, झालावाड प्रथम से प्रक्रिया अपना कर राजस्थान राज्य के राज्यपाल की ओर से दिनांक 17.07.1990 को एक पट्टे का लिखत से भूमि को आवासीय भूमि में समपरिवर्तित करा लिया और विवादग्रस्त बाड़ा का नक्शा में भी उपखण्ड अधिकारी, भूमि रूपान्तरण, झालावाड़ प्रथम में भी अपीलान्ट की स्थिति स्पष्ट कर दी। इस प्रकार अपीलान्ट का विवादित भूमि में आवासीय भूमि का प्लाट दर्ज हो गया है। जिस बात की जानकारी रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 4 को पूरी पूरी है। अपीलान्ट ने अपनी साक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय में समस्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियों को विधि सम्मत तरीके से प्रदर्शित करवाया है। अपीलान्ट ने अवासीय प्लाट का पट्टा प्राप्त करने के उपरान्त खरीदशुदा प्लाट की चर्तुसीमा नींव कुर्सी भरकर करवा रखी है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट नं. 1 को है तथा समय–समय पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवायी गई राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट से भी पुष्टि होती है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में एक मन्दिर सार्वजनिक बना हुआ है जो श्री केला देवी माता जी का है जिसके स्वामी को जो कि नाबालिक व्यक्ति की परिभाषा में आता है को भी पक्षकार नहीं बनाकर इस तथ्य को भी छुपाकर रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने दावा डिक्री कराया है जो कि खारिज होने योग्य है।

वादी रेस्पोडेन्ट नं. 1 प्रदीप ने अपने बयानात में अपीलान्ट के सभी कथनों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है और यह स्पष्ट रूप से माना है कि विवादित भूमि पर कई मकानात बन चुके हैं और सभी प्लाट विक्रय हो चुके हैं तथा क्रेतागण का कब्जा एवं स्वामित्व मौके पर है तथा नगर पालिका मण्डल, झालावाड़ ने भी विवादग्रस्त भूमि में सीमेन्ट कंकरीट के रोड (सी सी रोड) बना दिये हैं तथा उक्त कॉलोनी मंगलपुरा टेक कॉलोनी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कहलाती है। इस महत्वपूर्ण तथ्य के वादी रेस्पोडेन्ट नं. 1 प्रदीप के स्पष्ट बयानात होने पर भी अदालत ने किस प्रकार विवादग्रस्त भूमि को कृषि भूमि की परिभाषा में माना स्पष्ट नहीं किया है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री खारिज होने योग्य है। वादी रेस्पोडेन्ट नं. 1 प्रदीप कुमार को जितनी भी प्लाटों के पंजीयन की जानकारी हो चुकी है उन प्लाटों के पंजीयन को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया है। इसलिए बेचान किये गये प्लाट आज भी अस्तित्व में हैं तथा आवासीय रूप में काम आ रहे हैं। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद भू-अभिलेख निरीक्षक वृत झालावाड़ द्वारा दिनांक 05.11.2001 की मौका रिपोर्ट पर भी कतई ध्यान नहीं दिया है कि हल्का पटवारी के स्पष्ट लेख "खसरा नं. 2035 में पक्का कुआ निर्मित है जिसके आस पास कुए की पक्की जगह बनी हुई है। उक्त वर्णित कॉलोनी में सीमेन्ट मार्ग भी बने हुए हैं। मौके पर खातेदारान में से स्वतन्त्र स्वामित्व का कोई भी भू-खण्ड खाली नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पूर्व मंगवाई गई अन्तिम मौका रिपोर्ट दिनांक 27.07.2011 का भी अवलोकन नही किया गया जिसमें स्वयं वादी रेस्पोडेन्ट नं. 1 प्रदीप कुमार की मौजूदगी में रिपोर्ट तैयार की गई और हल्का पटवारी एवं कानूनगों ने स्पष्ट रूप से यह लेख किया है कि खसरा नं. 2035 में काटे गये समस्त प्लाटों के विक्रय होने की जानकारी मिली है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद गलत रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा नहीं मांगा गया अनुतोष भी क्यों प्रदान कर दिया इसका कोई विवेचन निर्णय में नहीं किया गया है। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने किस प्रकार से उपखण्ड अधिकारी, भूमि रूपान्तरण प्रथम, झालावाड़ के आदेश से करवाये गये पंजीबद्ध विक्रय पत्र को नल एण्ड वाईड माना है इसका कोई स्पष्टीकरण विधिक रूप से नहीं किया गया है। मात्र कयास के आधार पर ही निर्णय पारित किया गया है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचित की गई तनकी नं. 7 दादरसी में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल 5 प्लाट 5500 वर्ग फुट भूमि पर कोई निर्माण नहीं है तथा अपीलान्ट नं. 1 शकुन्तला सुईयन एवं रेस्पोडेन्ट प्रेमलता शर्मा ने अपने क्रय के आधार पर अपने प्लाटों को कृषि से अवासीय प्रयोजनार्थ सक्षम कार्यालय से रूपान्तरण करा लिये हैं तथा वादी द्वारा प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार शर्मा, जय प्रकाश शर्मा, नरेन्द्र कुमार पारिक से राजीनामा कर लिया है। विवादग्रस्त भूमि के प्रतिवादीगणों द्वारा मकान बनाकर उनमें आवास करना मन्दिर बनाना एवं भू-खण्डों का कृषि से अकृषि आवासीय रूपान्तरण करवा लेना साबित होता हैं। आवासीय आबादी भूमि पर वादी को इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं दिलाया जा सकता इसका अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु को जब न्यायालय ने तय कर लिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने क्रियात्मक आदेश में क्यों उक्त भूमि, आवासीय प्लाट वादी रेस्पोडेन्ट को देने का आदेश दिया। विधि विरूद्ध होने से निर्णय एवं डिक्री खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट सादर प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.08.2011 खारिज फरमाया जावे एवं जो भी अनुतोष नजदीक न्यायालय में अपीलान्ट्स को प्रदान किया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. 2011/00015 व 2011/00019/के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्र संग्रह सार के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोण्डेन्ट कम 1 द्वारा माननीय न्यायालय में एक वाद दिनांक 20.03.1987 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि शहर झालावाड, तहसील झालरापाटन में नई खतौनी संख्या 103 व पुरानी 119 की खसरा नम्बर 2035 की 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2036 की 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2037 की 1 बिस्वा कुल किता 3 की कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके है। इस आराजी में से खसरा नम्बर 2035 की रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2037 की रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 की कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि रेस्पोण्डेन्टस कम 1 लगायत 4 ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23.05.1983 को खरीद कि जो इंतकाल संख्या 261 दिनांक 26.08.1983 से उक्त के खाते दर्ज हुई। उक्त आराजी का विधिवत् बंटवारा रेस्पोण्डेन्टस् कम 1 से 4 में नहीं हुआ है जिसे रेस्पोण्डेन्ट कम 1 विभाजन करवा कर अपना हिस्सा अलग दर्ज करवाना चाहता है। साथ ही यह भी लिखा कि रेस्पोण्डेन्ट कम 1 केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है जो सन् 1976 से ही झालावाड़ से बाहर नौकरी पर रहता है व अभी भी वादी मद्रास में सेवारत है। साल में दो–चार दिन के लिये घर पर आता है। प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 की नियत में फर्क आ गया है वे बंटवारा नहीं करवाना चाहते। वादी दिनांक 12.03.1987 को मद्रास से आया तो वादी ने पाया कि प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 12 ने विवादग्रस्त भूमि पर पत्थर डलवा रखे हैं तो वादी ने दिनांक 13.03.1987 को पूछा तो उन्होंने कहा कि वह उक्त भूमि को आबादी में तब्दील करवा कर बेच डालेगे तथा वादी का खाता पृथक नहीं करेगे एवं उसे कोई हिस्सा नहीं देगे व वादी का हिस्सा 1/4 अलग करने की प्रार्थना की व प्रतिवादीगण को भूमि हस्तान्तरण नहीं करने व निर्माण कार्य नहीं करने, न ही बेचान करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना की। प्रतिवादीया कम 4 ने जवाब में कहा कि इस भूमि में कई प्लाट आबादी में परिवर्तित हो चुके हैं व प्रतिवादिया कम 4 के प्लाट का भी भू उपयोग परिवर्तन हो चुका है। जिस कारण दीवानी न्यायालय को ही वाद को सुनने का अधिकार है। प्रतिवादी कम 5 ने भी अपने जवाब में कहा कि यह कृषि भूमि नहीं रही है। शहरी भूमि है, उक्त भूमि पर मकानात तामीर हो चुके हैं व उसमें राज्य सरकार की विधिवत सहमति थी। सक्षम अधिकारियों की सहमति से राज्य सरकार की ओर से अनुमति प्राप्त कर मकानात तामीर हो चुके हैं व वे वादी व प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 के नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के हैं। प्रतिवादी कम 6 ने जवाब दावे में कहा कि इसमें कई प्लाट कन्वर्ट हो चुके है। उक्त प्लाट वादी के ज्ञान में खरीदा गया है व वादी ने ज्ञान में ही इस प्लाट पर प्रतिवादी कम 6 ने मकान का निर्माण किया है। प्रतिवादी कम 11 ने जवाब वाद में उसके कब्जे मल्कियत के प्लाट को मुख्तार खास से मुख्तारनामा देख कर खरीदना कहा। प्रतिवादी कम 12 ने भी उसके प्लाट का भू उपयोग परिवर्तन होना कहा व प्लाट को वादी की सहमति से खरीदना कहा। इस पर दिनांक 02.07.1991 को तनकीहात कायम की गई। इस बीच अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.02.1991 के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अपील की गई जिसका कमांक 203/93/झालावाड़ है। उक्त अपील में दिनांक 26.09.1997 को निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय को मौका रिपोर्ट के अनुसार क्रेतागण को पक्षकार बनाये जाने के पश्चात् विधिवत् निर्णय पारित करने के लिये वापस भिजवाई गई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा और न ही वादी द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार क्रेताओं को पक्षकार बनाया गया व दिनांक 29.11.2001 को निर्णय पारित किया गया जिसके साथ ही बिना प्रक्रिया अपनाये फाइनल डिक्री भी जारी कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की दो अपीलें माननीय न्यायालय में पेश की गई जिनका क्रमांक 331/2001 एवं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

332/2001 हैं। उक्त दोनों अपीलों में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2004 को निर्णय पारित कर अपील अपीलान्टस् आंशिक स्वीकार कर इस निर्देश के साथ पुनः नये सिरे से विधिवत् निर्णय पारित करने हेतु भिजवाई गई कि उभय पक्षकार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने, आवश्यक होने पर दावे में अतिरिक्त तनकीहात कायम करके विवादित भूमि के विषय में विभिन्न न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का भलि भांति अवलोकन करने तथा उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये बयानात राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेज का भलि भांति विवेचन एवं परीक्षण किये जाने के बाद पुनः नये सिरे से विधिवत् निर्णय पारित करें।

इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलों के पक्षकारान को सम्मन जारी कर तलब किया गया। दिनांक 12.07.2010 को वकील प्रतिवादी द्वारा आपत्ति लिये जाने पर कि संशोधित दावा प्रस्तुत नहीं हुआ है। दिनांक 21.07.2010 को वादी द्वारा संशोधित वाद पेश किया गया व नये बनाये गये पक्षकारान को तलब किया गया। जिस पर कुछ प्रतिवादीगण उपस्थित हुए व प्रतिवादीगण कम 1, 2, 3, 4, 16, 22, 23, 25, 27 व 29 द्वारा वादी द्वारा पेश संशोधित वाद का जवाब पेश किया गया जिसमें प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 ने कहा कि न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) झालावाड़ द्वारा वादी द्वारा पेश वाद संख्या 2/01 (49/87) में तनकी नं. 3 में यह माना है कि वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 द्वारा ओमप्रकाश गर्ग को मुख्तारनामा दिया गया था। यह भी लिखा कि ओमप्रकाश गर्ग द्वारा उक्त मुख्तारनामे के आधार पर सम्पूर्ण आराजी का बेचान प्लाट बनाकर किया जा चुका है। यह भी लिखा कि प्रतिवादीगण कम 6, 12 व 17 से वादी ने राजीनामा कर उक्त पर अपना हक छोडा है व उक्त प्लाट भी उक्त खरीददारान द्वारा ओमप्रकाश गर्ग से ही खरीद की गई। अन्य प्रतिवादीगण ने भी कहा कि उन्होंने प्लाट ओमप्रकाश गर्ग से बहेसियत मुख्तार वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 खरीद किया गया है व भूखण्ड का भू उपयोग परिवर्तन भी हो चुका है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2004 के अनुसरण में निर्देशानुसार और न ही जवाब दावा अनुसार अतिरिक्त तनकीहात कायम की गई व दिनांक 22.11.2010 को आदेशिका में लिखा कि "वकुलाय फरीकेन उपस्थित। तनकीहात पूर्व से ही कायम है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 331/2001, 332/2001 में दिनांक 18.11.2004 को पारित निर्णय में उल्लेखित इस निर्देश की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई कि "धारा 243 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रश्न तय करवाने के पश्चात् ही विचाराधीन दावे में निर्णय पारित करना चाहिये था" एवं "चूंकि विवादित भूमि के विषय में समान पक्षकारों के मध्य दो भिन्न न्यायालयो में दावा प्रस्तुत किये जाने पर क्या रेस ज्यूडीकेटा के बिन्दु लागू नहीं होते। इस विषय में परीक्षण न्यायालय को तनकी बनाकर पूर्ण रूप से विवेचन करना चाहिये। भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक मूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी क. 5 व 7 के विरूद्ध निर्णय पारित कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। पूर्व में माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 29.11.2001 में प्रतिवादीगण को मृतक लिखा जाकर इनके कायम मुकामान प्रतिवादीगण क 1, 2 व 14 लिखे गये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर न कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 29.11.2001 को पारित निर्णय में बतौर प्रतिवादी कम 14 अनिल कुमार आ. ओमप्रकाश गर्ग का नामदर्ज था जिसे इस वाद में अब पक्षकार नहीं बनाया गया है, न ही उसके खिलाफ निर्णय पारित किया गया

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है जबकि वह प्रतिवादीया कम 7 मृतक चन्द्रकान्ता द्वारा खरीदे गये प्लाट के 1/3 भाग का हिस्सेदार है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 203/93/झालावाड में दिनांक 26.09.1997 को पारित निर्णय में वाद में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.1990 में उल्लेखित क्रेताओं जिसकी लिस्ट प्रदर्श ए-1 है को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया जाना था। किन्तु वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.07.2010 को पेश संशोधित वाद में उक्त रिपोर्ट प्रदर्श ए-1 में उल्लेखित क्रेता द्वारकालाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः वाद वादी खारिज होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर न कर भारी कानूनी एव तथ्यात्मक भूल की है कि वादी द्वारा दिनांक 21.07.2010 को पेश संशोधित वाद में बतौर प्रतिवादी क्रम 22 दाखा बाई पत्नी लालाराम एवं रवि सेन पुत्र लालाराम का नाम अंकित किया है जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता एवं न ही वक्त पेश किये जाते समय संशोधित वाद दाखा बाई जीवित थी। अतः निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के तनकी नम्बर 4 आया इस न्यायालय को अख्तियार समाहत हासिल है" को निर्णित करने में भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। इसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, झालावाड के निर्णय दिनांक 23.07.2001 का उल्लेख करते हुए मुकदमा सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना माना है। उक्त निर्णय प्रथमता पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है। द्वितीय उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, झालावाड द्वारा अपील मुतफर्रिक दीवानी संख्या 21/97 बउनवान प्रदीप कुमार विरूद्ध सुनील कुमार दिनांक 23.07.2001 वादी प्रदीप कुमार द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) झालावाड में प्रस्तुत वाद के साथ पेश प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 27/97 को दिनांक 11.03.1997 को खारिज कर दिये जाने के विरूद्ध की गई थी न कि क्षेत्राधिकार बाबत, वादी द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क. ख.) झालावाड़ में पेश वाद संख्या 49/87 में प्रथम तनकी कायम की गई थी कि आया मूल वाद सुनने का अधिकार सिविल न्यायाधीश को प्राप्त है या नहीं। इस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.02.1997 को आदेश पारित कर यह माना था कि विवादग्रस्त भूमि केवल कागजों में कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि आबादी भूमि में शहर झालावाड नगर पालिका की 10 किमी की परिधि में होने के कारण आबादी भूमि है जिसके बंटवारे के स्थायी निषेधाज्ञा आदि के मुकदमों का श्रवणाधिकार दीवानी न्यायालय को होने के कारण न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 5 व 6 की विवेचना अलग अलग न कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। क्योंकि दोनों तनकीहात की विषयवस्तु एक दूसरे से काफी भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 5 "क्या भूखण्डों के तो को पक्षकार बनाये बिना दावा चलने योग्य है।" यह मान कर भारी कानूनी एव तथ्यात्मक भूल की है कि वादी द्वारा प्लाटों के क्रेताओं को भी वाद में पक्षकार बनाया है। पूर्व में चले वाद में प्रतिवादीगण के 12 तक पक्षकार थे प्रतिवादी कम 13 राज्य सरकार एवं प्रतिवादी कम 14 अनिल कुमार कायम मुकाम प्रतिवादीगण कम 5 व 7 पक्षकार था। वादी द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2001 एवं 26.09.1997 की पालना में प्रतिवादी कम 13 लगायत 27 एवं प्रतिवादी के 29 की प्रार्थना पर प्रतिवादी कम 29 को पक्षकार बनाया गया है

(दीप्ति [illegible] मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जो तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 12.12.1990 में उल्लेखित केताओं के आधार पर बनाये जाने थे। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श ए में क्रम संख्या 4 पर द्वारका लाल का नाम अंकित है किन्तु उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। साथ ही प्रतिवादी क्रम 29 को कस्तूरी बाई से प्लाट खरीदने पर वादी द्वारा अनापत्ति किये जाने पर पक्षकार बनाया गया है। किन्तु रिपोर्ट दिनांक 12.12.1990 में किसी कस्तूरी बाई का नाम ही उल्लेखित नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वादी द्वारा सभी क्रेताओं को पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद नौन ज्वाइन्डर एवं मिस ज्वाइन्डर में खारिज होने योग्य है। वाद में पेश रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 12.12.1990 में चन्द्रकान्ता गर्ग भी क्रेता थी व पक्षकार थी। जिनकी मृत्यु होने पर वादी ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर मृतका के पुत्र अनिल कुमार को बतौर प्रतिवादी क्रम 14 पक्षकार बनाया था। किन्तु निर्णित वाद में अनिल कुमार को पक्षकार ही नहीं बनाया गया। अतः वाद वादी नौन ज्वाइन्डर ऑफ पार्टी में खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 6 जो अत्यन्त महत्वपूर्ण तनकी थी पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजात की विवेचना न कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 4 पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य की विवेचना न कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। सभी साक्ष्य द्वारा यह कहा गया कि पूरी भूमि पर प्लाट बिक चुके हैं एवं इस घर नगरपालिका द्वारा नालियां व सीमेन्ट रोड भी बनाई जा चुकी है। स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2001 को तहसीलदार झालरापाटन को पत्र लिख कर इस भूमि की मौके की जांच करने को कहा गया था। जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार झालरापाटन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.11.2001 को दी गई कि जो हल्का पटवारी व कानूनगो की हस्ताक्षरित थी। इसमें लिखा था कि उक्त वर्णित कॉलोनी में सीमेन्ट मार्ग भी बने हुए है। मौके पर खातेदारान में से स्वतंत्र स्वामित्व का कोई भूखण्ड खाली नहीं है। इससे स्पष्ट है कि मौके पर किसी भूमि पर किसी खातेदार का कोई कब्जा नहीं था व मौके पर समस्त भूमि आवासीय भूमि में परिवर्तित हो चुकी थी। अतः उक्त भूमि विभाजन योग्य ही नहीं रही थी।

अधीनस्थ न्यायालय ने यह मात्र कयास के आधार पर ही यह मान लिया है कि असल दस्तावेज (मुख्तारनामा) न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। जबकि स्वयं वादी अपने बयानों में कई बार इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसके द्वारा एक ही मुख्तारनामा ओमप्रकाश गर्ग को दिया गया था जो खारिज करवाया गया था। उक्त मुख्तारनामे को खारिज करवाये जाने की सूचना प्रदर्श ए–6 अखबार में निकलाई गई थी जिसमें यह लिखा था कि मुख्तारनामा बाबत प्लाट काट कर बेचने का प्राप्त कर लिखा था। वादी का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15.05.1986 का भी पत्रावली पर है जिसमें भी वादी ने मुख्तारनामा दिया जाना स्वीकार किया है साथ ही भू उपयोग परिवर्तन की पत्रावलियों की प्रतियां जो माननीय न्यायालय में पेश की गई उनमें भी मुख्तारनामा उल्लेखित है। इसी मुख्तारनामे की फोटो प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है जिसे द्वितीय साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये जाने का प्रार्थना पत्र ओमप्रकाश गर्ग ने दिनांक 23.11.1992 को पेश किया था जो दिनांक 23.12.1992 को स्वीकार किया गया। किन्तु ओमप्रकाश गर्ग की मृत्यु हो जाने से प्रदर्शित नहीं करवाया जा सका। इससे स्पष्ट है कि स्वयं वादी ने मुख्तारनामा दिया जाना स्वीकार किया है व उसे प्रदर्श ए–6 दिनांक 20.06.1986 से निरस्त करवाया गया है। इस मुख्तारनामे के आधार पर दिनांक 02.09.1986 के पूर्व किये गये बेचान इकरार अथवा बेचान वैध है। उक्त मुख्तारनामा दीवानी वाद में प्रदर्शित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून विरूद्ध व मनमाना है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर न कर भारी कानूनी एव तथ्यात्मक भूल की है कि स्वयं वादी ने ओमप्रकाश गर्ग को वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 द्वारा दिये गये मुख्तारनामे के आधार पर बेचे गये भूखण्डों के स्वामी प्रतिवादीगण कम 6, 12 व 17 से उनके द्वारा की गई खरीद को सही मानकर उस पर अपना हक छोडा है जबकि उक्त प्रतिवादी कम 6 ने अपने बयान दिनांक 06.08.2001 में यह स्वीकार किया था कि मुझे ओमप्रकाश गर्ग ने मुख्तारनामा बतलाया था। प्रतिवादी कम 12 ने भी दिनांक 30.03.2011 को की गई जिरह में यह स्वीकार किया है कि भूमि ओमप्रकाश ने बेची थी। राजीनामे में वादी ने स्वीकार किया था कि इसमें वादी अपना हिस्सा क्लेम नहीं करता है। इससे स्पष्ट है कि वादी ने बदनियती पूर्वक वाद पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 7 में मनमाने तरीके से वादी का हिस्सा 1/4 निर्धारित कर भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है कि वाद बंटवारे व स्थायी निषेधाज्ञा का है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा वादी को 9 प्लाटों की 12000 वर्ग फूट जमीन का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया है किन्तु यह कही उल्लेखित नहीं है कि इन प्लाटों को क्रमांक व साइज क्या है व इनका क्रेता कौन व्यक्ति है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आपस्त फरमाया जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 579/05 में दिनांक 01.08.2011 को पारित निर्णय व डिक्री आपास्त फरमाई जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। पांचों अपीलों में अपीलांट अभिभाषक श्री विजय कुमार जैन एवं अमितोष आचार्य की एक तरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व में वाद रिमाण्ड हुआ था। वादग्रस्त आराजी के चार खातेदार थे। चारों खातेदारों ने ओमप्रकाश गर्ग को मुख्तारआम नियुक्त किया। ओम प्रकाश गर्ग ने प्लाटों का बेचान किया। न्यायालय ने माना कि मूल मुख्तारआम न्यायालय में पेश नहीं हुआ जबकि प्रदीप कुमार ने अपनी जिरह में दिनांक 29.10.1992 को मुख्तारआम के सन्दर्भ में कहा है, प्रदर्श 1 मुख्तारआम है। मुख्तारआम रजिस्टर्ड नहीं था, परन्तु पहले अनरजिस्टर्ड मुख्तारआम से रजिस्ट्री हो जाती थी। प्रदर्श ए 6 दिनांक 02.06.1986 मुख्तारआम के कम में प्रदीप ने अखबार में साया करवाया, इसके बाद कोई बेचान नहीं हुआ। सिविल न्यायालय में प्रदीप का दावा व अपील दोनों खारिज हुए। मुख्तारआम होना प्रदर्श ए–6 में स्वीकार किया। मुख्तारआम ने भूखण्डों का बेचान कर दिया है। अतः प्रदीप का कोई हिस्सा नहीं बनता। निर्णय होते ही दूसरे दिन नामान्तरकरण खोला गया। दावा बंटवारे और स्थायी निषेधाज्ञा का था और जबकि प्रकरण में खातेदार घोषित करने का निर्णय पारित किया और हिस्से का नहीं। कुल आराजी में 12000 फुट आराजी का खातेदार घोषित किया जो तकनीकी रूप से गलत है। अपीलांट के भू खण्डों का रूपान्तरण हो चुका था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इसे नहीं माना। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाये।

ये पांचों अपीलें समान प्रकृति की एवं एक ही निर्णय के विरूद्ध होने के कारण इन सबका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट की एक तरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी प्रदीप कुमार द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 54ए, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि कस्बा झालावाड की आराजी खसरा नं. 2035 रकबा 1.15 बीघा एवं खसरा नं. 2036 रकबा 0.01 बीघा कुल दो किता कुल रकबा 1.16 बीघा के खातेदार द्वारकालाल पुत्र रामदास, जाति बैरागी से जरिये रजिस्टर्ड बेनामे से प्रदीप कुमार पुत्र ज्ञानानन्द शर्मा, सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश, श्रीमती बीना पुत्री ओमप्रकाश व श्रीमती संध्या पुत्री सूरज नारायण ने शामलाती रूप से क्रय की थी तथा कब्जा प्राप्त किया था। विवादग्रस्त आराजियात का कानूनी रूप से कोई बटंवारा किसी भी तरह का नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 समस्त आराजी में सयुंक्त रूप से शामलाती कब्जे में सबके हित समाहित है। प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने वादी के बाहर रहने का नाजायज फायदा उठाकर आपसी षडयंत्र से प्रतिवादीगण 4 लगायत 12 के साथ मिलकर विवादित भूमि को बेच कर कब्जा करना चाह रहे है। वादी अपने हिस्से की भूमि 1/4 का बंटवारा कर अपने हिस्से का पृथक खाता कायम करवाना चाहता है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 3 के मध्य बंटवारा कर किस्म के मुताबिक वादी का हिस्सा यानि 1/4 भूमि अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी में वादी की तन्हा खातेदारी दर्ज की जावे तथा खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण भूमि का हस्तान्तरण नहीं करे न निर्माण कार्य करे तथा ना बेचान करे एव ना ही किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत करे, इस आशय की निषेधाज्ञा भी पारित की जाये तथा प्रतिवादीगण ने कोई बेचान कर दिया हो तो उसे अवैध एवं शून्य घोषित किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2001 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद डिक्री किया तथा आदेश दिये कि खसरा नं. 2035 व 2037 की भूमि मे से वादी प्रदीप कुमार का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जाकर इसका अंकन अलग खाते में दर्ज किया जावे। वादी का हिस्सा इस आराजी के पश्चिम में स्थित चाह से प्रारंभ होकर दक्षिण तरफ अंतिम छोर तक इसी बिन्दू से प्रारंभ होकर पूर्व की तरफ तक तथा पूर्व में उत्तर की तरफ तक कुएं की सीध तक का हिस्सा वादी के अलग खाते में रखने का निर्णय पारित किया। इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा तथा अपीलांट नरेन्द्र कुमार शर्मा, नरेन्द्र कुमार पारीक, जगदीश खलोरा, श्रीमती कैलाश बाई द्वारा न्यायालय हाजा में कमशः पृथक पृथक दो अपीलें, अपील संख्या 331/2001 व 332/2001 दिनांक 28.12.2001 को दायर की गई। **न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 18.11.2004** से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2001 को निरस्त कर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी झालावाड को उभयपक्षकारान को सुनवायी का पर्याप्त एवं उचित अवसर दैने, आवश्यक होने पर अतिरिक्त तनकीयात कायम कर विवादित भूमि के विषय में विभिन्न न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का भली भांति अवलोकन करने तथा उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये बयानात राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेज का भली भांति विवेचन एवं परीक्षण किये जाने के बाद पुनः नये सिरे से विधियत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 18.11.2004 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2011 से पुनः तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वाद वादी आंशिक स्वीकार कर यह निर्णय पारित किया है कि खसरा नं. 2035 रकबा 1.15 बीघा एवं खसरा नं. 2037 रकबा 0.01 बीघा में खाली पडे हुए 9 प्लाटों की 12000 वर्ग फीट भूमि का वादी प्रदीप कुमार को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि वादी के पृथक खाते दर्ज कर कब्जा दिया जाये। अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के खाते कब्जे काश्त की आराजी में बेजा मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और ना ऐसा अन्य से करवावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर प्रतिवादी कम 1 व 2, प्रतिवादी कम 12, प्रतिवादी कम 16, प्रतिवादी कम 18 व 21 तथा प्रतिवादी कम 24 द्वारा न्यायालय हाजा में पृथक पृथक पांच अपीलें पेश की गयी है।

सन्दर्भित प्रकरण न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 18.11.2004 से अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि उभयपक्षकार को सुनवायी का पर्याप्त एवं उचित अवसर देने, आवश्यक होने पर दावे में अतिरिक्त तनकियात कायम करके विवादित भूमि के विषय में विभिन्न न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का भली भांति अवलोकन करने तथा उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये बयानात, राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेज का भली भांति विवेचन एवं परीक्षण किये जाने के बाद पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.11.2004 में दिये गये निर्देशों की पालना का अभाव रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अतिरिक्त सिविल न्यायालय, झालावाड द्वारा दीवानी वाद सं. 2/2001 (49/87) में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2004 में तनकी नं. 3 में किये गये विवेचन का भली भांति अवलोकन नहीं किया है। सिविल कोर्ट ने तनकी नं. 3 के विवेचन में प्रमाणित माना है कि वादी स्वयं प्रदीप कुमार एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 कमशः सुनील कुमार गर्ग, श्रीमती बीना अग्रवाल एवं श्रीमती संध्या अग्रवाल ने विवादित आराजी के कम में मुख्तारनामा दिनांक 14.11.1983 को प्रतिवादी सं. 5 ओम प्रकाश गर्ग आत्मज जमनालाल के हक में लिखा था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना ही तनकी नं. 5 व 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की है। तनकी नं. 5 व 6 के विवेचन में अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3, 5 व 7 द्वारा जरिये मुख्यतारनामा वादी की सहमति से विवादग्रस्त आराजियात में से आराजियात को प्लाटों के रूप में ओम प्रकाश गर्ग के द्वारा बेचान किये गये हैं। लेकिन असल दस्तावेज (मुख्तारनामा) न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसकी सत्यता पर संदेह होता है। इस प्रकार के विक्रय को नल एण्ड वाईड ही माना जाता है। परन्तु सिविल न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.05.2004 से तनकी नं. 3 के निर्णय में वादी प्रदीप कुमार एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में दिनांक 14.11.1983 को प्रतिवादी कम 5 ओम प्रकाश गर्ग के पक्ष में निष्पादित मुख्तारनामे को प्रमाणित माना है। सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2004 को पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी प्रदीप कुमार द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, झालावाड में अपील सं. 46/2004 दायर की गई। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, झालावाड द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.07.2015 से अपीलांट/वादी प्रदीप कुमार द्वारा प्रस्तुत अपील को सारहीन होना स्वीकार करते हुए अपील खारिज करते हुए अधीनस्थ सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2004 की पुष्टि की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है। अपीलीय सिविल न्यायालय ने भी तनकी नं. 3 के निर्णय में दिनांक 14.11.1983 को ओम प्रकाश गर्ग के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित होना प्रमाणित माना है।

वर्तमान विचाराधीन अपील सं. 356/2011 के अपीलांट सुनील कुमार एवं बीना अग्रवाल द्वारा न्यायालय हाजा में आदेश 41, नियम 27 एवं धारा 151 सी. पी. सी. के प्रार्थना पत्र के साथ सिविल न्यायालय द्वारा पारित दोनों निर्णय दिनांक 01.05.2004 एवं निर्णय दिनांक 06.07.2015 की प्रमाणित नकल पेश की है तथा इसी प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 14.11.1983 को निष्पादित मुख्तारनामे की सिविल न्यायालय द्वारा प्रमाणित नकल पेश की है, जिस पर प्रदर्श ए–1 अंकित है। सिविल न्यायालय ने अपने निर्णयों में मुख्तारनामा दिनांक 14.11.1983 के निष्पादन को प्रमाणित मानने के साथ ही विवादित आराजी के भूखण्डों के रूप में हुए बेचान को भी प्रमाणित माना है। सिविल न्यायालयों द्वारा पारित दोनों निर्णय दिनांक 01.05.2004 एवं 06.07.2015 में विवादित आराजी के वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होना माना है। जबकि अधीनस्थ राजस्व न्यायालय ने तनकी नं. 4 के विवेचन में यह अंकित किया है कि नकल निर्णय माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, झालावाड दिनाक 23.07.2001 से इस न्यायालय को विवादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में मुकदमा सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस का खण्डन प्रतिवादीगण ने किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा नहीं कराया है। इसलिए इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के खिलाफ किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय पूर्णतः अस्पष्ट है और स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता।

इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सन्दर्भ में किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया, जबकि वादी द्वारा अपने दावे में बंटवारे का भी अनुतोष चाहा गया था। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया था कि विवादित आराजी कृषि भूमि है तथा वादी विवादित आराजी में 1/4 हिस्से का अधिकारी है, तो अधीनस्थ न्यायालय को वादी द्वारा चाहे गये बंटवारे के अनुतोष के क्रम में पहले प्राथमिक डिक्री जारी करनी चाहिए थी, तत्पश्चात बंटवारे सम्बन्धी नियमों की पालना करते हुए प्राप्त होने वाले बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर नियमानुसार अंतिम डिक्री जारी करनी चाहिए थी, जिसका अपीलाधीन निर्णय मे अभाव है। दोनों सिविल न्यायालयों ने अपने निर्णय मे विवादित आराजी के सन्दर्भ में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 द्वारा दिनांक 14.11.1983 को प्रतिवादी कम 5 ओम प्रकाश गर्ग के पक्ष में निष्पादित मुख्तारनामे को प्रमाणित माना है और अधीनस्थ न्यायालय ने इस मुख्तारनामे के आधार पर हुए बेचान को तनकी नं. 5 व 6 के निर्णय में नल एण्ड वोईड माना है, जो उचित नहीं है। अपीलीय सिविल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, झालावाड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.2015 की वादी प्रदीप कुमार एवं उनके वारिसान द्वारा अपील करने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की तनकी नं. 7 व कियात्मक आदेश के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी को कृषि भूमि मानते हुए निर्णय पारित नहीं किया जबकि विवादित आराजी का भूखण्डों के रूप में अस्तित्व मानते हुए निर्णय पारित किया है जो उचित नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे प्रदान किये गये निर्देशों की पालना का पूर्णतः अभाव होने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीले अपील संख्या 2011/00018 (355/2011), 2011/00019 (356/2011), 2011/00015 (357/2011), 2011/00016 (360/2011) एवं 2011/00017 (366/2011) आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2011 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विभिन्न सिविल न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का पुनः भली भांति अवलोकन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का पुनः परीक्षण करने के पश्चात, शेष रहे अन्य केतागण को भी पक्षकार संयोजित करते हुए, साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण में पुनः नये सिरे से तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, झालावाड के निर्णय दिनांक 06.07.2015 एवं सिविल न्यायालय द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे की नकल अधीनस्थ न्यायालय में पेश करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.04.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

06/02/2026

(दीपि चन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा